

अदालत उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोडाभीम (करौली)

वकील बनाम हरसहय फौज

मुकदमा दावा घोषणा खोलेदारी नं. 35 - सन् 2007
तकस्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

21/3/07

वादी वकील श्री देवेन्द्रकुमार शर्मा पद ने दावा घोषणा खोलेदारी, तकस्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया, दावा दर्ज रजिस्टर होकर सम्पन्न कार्यवाही जण जारी लेकर पत्रावली दिनांक 20/4/07 को पेश की।

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

20.4.07

उपरोक्त कदी उपरिष्ठ. प्रतिवरी 1 एका 3, व प्रतिवरी 6 एका 12 की तापफे 24 मीने (तापफे एनेयरेस) व प्रतिवरी 1 एका 3 पद की एका 12 की तापफे 24 उपरिष्ठ उक्ती तलवी के 1 एका 12 की तापफे 24 पत्रावली दिनांक 20/4/07 को पेश की।

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

12

(ओ 20 रूल 6-7 जाबता दीवानी)

आज अदालत उप नुमांडा अधिकारी मुकाम टोडाभीम
इजलास पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश जाय RAS

उन्वान

पुत्र श्यामपाल (जौत)
शिवराज
शिवराज
शिवराज
शिवराज
शिवराज
शिवराज

बनाम

1 हरसहाय 2 बडी 3 रामफूल
4 पि जगदेव 5 रतनी 6 फूलबाई
7 पुनिया जगदेव 8 कंचन 9 काी
10 अमरसिंह 11 रामचरण पि हरिया
12 कै ल्या पुत्र रामनावायण 13
रामकिशोर पुत्र राजपाल 14
नारायण का. कै लाराम 15 तछीलदार
टोडाभीम 16 प्रबन्धक देव आकांक्षीकोवर
मुकदमा नं० 18/2007 सन् 1975 जयपुर इजलास
महंकीपुर
काळांगी

बाबत कोषकारकोतदारी, तकासा, लायी
निधि धाजा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई सबई देवे नुमांडा शर्क सब व हाजिरी

मदन मोहन शर्मा अर्को

मिनकानिब गुदई सबरु हसोर


निब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

बंदवारा स्कीम के अनुसार दावा इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि
बाडी जगराज शिवराज देवराज पि बडी प्राति मीना को ग्राम कौतली
की भूमि ख. नं 15 रकबा 0.32, 16 रकबा 0.78, 17 रकबा 0.61, 20 रकबा
0.06, 21 रकबा 0.45, 22/1 रकबा 0.42, 24/3 रकबा 0.35 कुल किता 7 कुल
रकबा 2.99 है का खोतदार का इत्कार धोषित किया जाता है। प्रतिकाडी
हरसहाय बडी रामफूल पि जगदेव रतनी फूलबाई पुनिया जगदेव
मीना को ख. नं 22 रकबा 0.20 है, 24/1 रकबा 0.24 है कुल किता 2 कुल
रकबा 0.44 है का तथा प्रतिकाडी कंचन बती अमरसिंह रामचरण पि हरिया
पुत्र कै ल्या पुत्र रामनावायण मीना को ख. नं 19 रकबा 0.22 है, 24 रकबा
0.78 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 है का तथा प्रतिकाडी रामकिशोर पुत्र
राजपाल मीना को ख. नं 15/1 रकबा 0.08, 18 रकबा 0.68, 19/1 रकबा 0.24
28 रकबा 0.04 है कुल किता 5 कुल रकबा 1.04 है का तथा प्रतिकाडी
मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय

बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

का अदा करे।
मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 12 सन्

को जारी की गई।



मुहर

दस्तखत उप जिला कलक्टर
ओहदा टोडाभीम (कौतली)

वर्ग	रूपया	पैसे	मुदायलता	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प खजह सबत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।